न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 241 / 2021 अपील / डूंगरपुर (GCMS 2021/257)
पंजीयन दिनांक– 05.07.2021
निर्णय दिनांक– 01.11.2021

1. श्री दिलीप पिता देवजी कलाल, निवासी करोली, तहसील बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर।
2. श्री प्रकाश पिता देवजी कलाल, निवासी करोली, तहसील बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर।
3. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री देवजी कलाल, निवासी करोली, तहसील बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर।
4. श्रीमती कान्ता पुत्री देवजी कलाल, निवासी करोली, तहसील बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर।
5. श्रीमती ललीता पुत्री देवजी कलाल, निवासी करोली, तहसील बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर।
6. श्रीमती कलावती पुत्री देवजी कलाल, निवासी करोली, तहसील बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर।
7. श्रीमती हीरा पत्नि देवजी कलाल, निवासी करोली, तहसील बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर।

–अपीलांट्स

बनाम

1. श्री विष्णुलाल पिता तुलसीराम सेवक, निवासी चुण्डावाडा, हाल भुवनेश्वर, तहसील बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर।
2. श्री महेश पिता तुलसीराम सेवक, निवासी चुण्डावाडा, हाल भुवनेश्वर, तहसील बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर।
3. श्री मुकेश पिता तुलसीराम सेवक, निवासी चुण्डावाडा, हाल भुवनेश्वर, तहसील बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर।

4. श्रीमती नाथी बेवा तुलसीराम सेवक, निवासी चुण्डावाडा, हाल भुवनेश्वर, तहसील बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर।
5. भूमिधारी तहसीलदार, बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री मनीष शर्मा – अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री एस. पी. व्यास – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4
2. श्री मुरलीधर पालीवाल – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 5
   राजकीय अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बिछिवाडा के
प्रकरण संख्या 16/2019 निर्णय दिनांक 01.08.2019

निर्णय

दिनांक 01.11.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, बिछीवाडा के प्रकरण संख्या 16/2019 निर्णय दिनांक 01.08.2019 के विरूद्ध दिनांक 05.07.2021 को प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेसपोडेंट संख्या 1 से 4/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र धारा 136 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम करोली, तहसील बिछीवाडा में स्थित आराजी संख्या 2357/62 रकबा 05 बीघा पर रेसपोडेंट संख्या 1 से 4/प्रार्थीगण कब्जे व मौके अनुसार आवंटित एवं कब्जा सुपुर्द की गई भूमि पर ही काबिज काश्त है, किन्तु नक्शा लठ्ठा में तत्कालीन कार्मिक/पटवारी द्वारा पैतुदगी

सही नाप की आवंटित पूर्ण भूमि अनुसार नही करने की त्रुटि की है जिसे शुद्ध एवं सही कराया जाना आवश्यक है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 16/2019 निर्णय दिनांक 01.08.2019 से रेसपोडेंट संख्या 1 से 4/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 01.08.2019 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः— ***"अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी तहसीलदार, बिछीवाडा को आदेश दिया जाता है कि ग्राम करोली के खसरा नम्बर 2357/62 रकबा 5 बीघा भूमि का रिकार्ड (नक्शे) में तरमीम करा 15 दिवस में पालना प्रेषित की जावें।"***

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष शर्मा उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री एस. पी. व्यास उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 5 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 27.10.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट तहसीलदार को नोटिस जारी किये जिसके क्रम में रेस्पोडेंट तहसीलदार उपस्थित हुए व दिनांक 12.04.2019 की पेशी पर वास्ते जवाब हेतु अवसर चाहा गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने आगामी पेशी दिनांक 10.05.2019 व 21.06.2019 में पीठासीन अधिकारी अनुपस्थित होने से दिनांक 01.08.2019 की पेशी दी गई। तहसीलदार द्वारा न तो जवाब पेश किया नही अधीनस्थ

न्ययालय द्वारा जवाब बंद किया गया व सिधे ही रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 तक के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। उक्त पारित आदेश की पालना में पटवारी द्वारा राजस्व रेकार्ड में नक्शे को तरमीम कर अपीलांट की भूमि को तरमीम में शामील कर नक्शे में तरमीम कर दिया, जिससे अपीलांट प्रभावित पक्षकार है। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय में प्रकाश व दिलीप के विरूद्ध अंतर्गत धारा 88, 188 दिनांक 09.06.2021 को पेश किया जिसके सम्मन अपीलांट को प्राप्त हुए व उसमें दिनांक 16.06.2021 को उपस्थित होने की पेशी दी है। जिसका प्रकरण संख्या 20/2021 व इसके साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का प्रकरण 10/2021 है। जिस पर अपीलांट ने खोजबीन की तो उक्त मामले की जानकारी हुई। रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ जो नक्शा प्रस्तुत किया गया उसमें स्वयं रेस्पोडेंट ने यह अंकित किया कि उसकी पैमुदगी आवंटित भूमि से कम की गई तो अधिनस्थ न्यायालय को इसकी जांच करने हेतु की कितनी भूमि का नक्शा पासबुक में किया गया व कितनी भूमि कम पडती है इस संबंध में जांच हेतु तहसीलदार व पटवारी से मौका रिपोर्ट तलब किया जाना आवश्यक था। रेस्पोडेंट द्वारा जो नक्शा पेश किया गया तथा जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश से किया गया वह मेल नही खाता है। रेस्पोडेंट को अधीनस्थ न्यायालय में धारा 136 के साथ धारा 88 के अंतर्गत घोषणा का वाद भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए था अकेले धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र पोषणीय नही था। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में बताया रेसपोडेंट संख्या 1 से 4 की राजस्व ग्राम करोली, तहसील बिछीवाडा में स्थित आराजी संख्या 2357/62 रकबा 05

बीघा पर रेसपोडेंट संख्या 1 से 4 कब्जे व मौके अनुसार आवंटित एवं कब्जा सुपुर्द की गई भूमि पर ही काबिज काश्त है, किन्तु नक्शा लठ्ठा में तत्कालीन कार्मिक/पटवारी द्वारा पैतुदगी सही नाप की आवंटित पूर्ण भूमि अनुसार नही करने की त्रुटि की है जिसे शुद्ध एवं सही कराया जाना आवश्यक था। रेस्पोडेंट के नाम आवंटित उक्त भूमि की राजस्व रेकार्ड नक्शा लठ्ठा में मौके की स्थिति तथा कब्जा काश्त के विपरीत की गई गलत व कम पैमुदगी के कारण कानूनी पेचगगियों एवं परेशानियों की संभावना बनी रहती है। अतः ऐसी त्रुटि का मौका स्थिति अनुसार सही एवं शुद्ध करने तथा रेकार्ड नक्शा लठ्ठा को आदिनांक कराया जाना न्यायोचित होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 01.08.2019 से नियमानुसार उचित निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 5 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिछीवाडा द्वारा दिनांक 01.08.2019 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि किसी भी अपील प्रकरण में आदेश 41 जा.दी. के तहत अपील प्रस्तुत करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय के पक्षकारों का ही होता है, अन्यथा किसी भी पक्षकार को न्यायालय की अनुज्ञा दफा 96 जा.दी. के तहत प्रस्तुत कर ही अपील प्रस्तुत किये जाने का अधिकार रहता है। दफा 96 जा. दी. आवेदन में अपीलाण्ट को पृथक से आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण में आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार होने के कारण दर्शित करते हुए न्यायालय की अनुज्ञा प्राप्त कर ही वह अपील प्रस्तुत कर सकता है। हांलाकि अपीलांट ने अपील के कलम संख्या 16 में अपील प्रस्तुत

करने की अनुमति हेतु अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है का वर्णन किया है, परंतु धारा 96 जाप्ता दीवानी का आवेदन अलग से पेश नही किया गया है। अतएवं इस प्रकरण में दफा 96 जा.दी. के आज्ञापक प्रावधानों के तहत कोई आवेदन अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा कोई आवेदन दफा 96 जा.दी. का प्रस्तुत कर न्यायालय की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना जो अपील प्रस्तुत की गयी है, वह विधि के आज्ञापक प्रावधानों के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर